परसादी बोले शराब पीनी है तो सरकारी पिए, गुढ़ा ने कहा सड़कें तो कैटरीना के गालों जैसी बनें

राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रियों के बयान चर्चाओं में छाये

- **शराब बंदी बिहार और गुजरात में भी लागू है, लेकिन फिर भी बिक रही है : आबकारी मंत्री**

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद जहां मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं यह चर्चा उनके बयानों को लेकर हो रही है। एक मंत्री जिनके पास आबकारी विभाग का जिम्मा है, वह जहां शराब को जरूरी बताते हैं, वे कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से मरने की बजाय शराब ही पीनी है तो सरकारी पिए। वहीं एक मंत्री अब हेमा मालिनी को बूढ़ी बताते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को कैटरीना कैफ के गालों की जैसी बनाना चाहते हैं। ऐसे में इन दोनों मंत्रियों के बयानों को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है।

सबसे पहले बात की जाए आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा की जो कि सरकारी शराब पीने की सलाह देते हुए शराब को जरूरी भी बता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि शराब बंदी बिहार और गुजरात में भी लागू है, लेकिन फिर भी बिक रही है। राजस्थान को लेकिन बिहार नहीं बनने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में शराब पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, बल्कि लोगों को जागरूक करेंगे। पटना में शराबबंदी है, फिर भी जहरीली शराब से कितने लोग मर गए। मरने से अच्छा है कि सरकारी शराब पीएं। आबकारी विभाग संभालने वाले मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह बातें कहीं।

बुधवार को सचिवालय में पदभार ग्रहण करते समय प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बजट में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 300 से 400 करोड़ खर्च कर जन जागरूकता फैलाएंगे कि जहरीली और देसी शराब ना पीएं। यदि पीना है तो सरकारी शराब पीएं, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा और पंजाब में पहले शराब बंद की गई थी, जिसे दोबारा शुरू करनी पड़ी है। उन्होंने शराब को लोगों के लिए आवश्यक चीज बताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर शराब को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जहरीली शराब पर पूरी तरह रोक रखी जाएगी। जिसको शराब पीना है सरकारी दुकान से ले वहां उचित दर में मिलेगी। परसादी लाल मीणा नई आबकारी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि नई नीति से शराब माफिया ने राजस्थान से विदा ले ली है। पहले जिसके ऑक्शन में लॉटरी निकलती थी, वो दुकान को 20-30 लाख रुपए में सबलेट कर देता था। नई आबकारी नीति से शराब माफिया को दिक्कत हो गई है। जनता को कोई तकलीफ नहीं है। नई नीति से रेवेन्यू भी पहले से ज्यादा मिला है। राज्य सरकार का काम नीति बनाना है। सरकार की हर पॉलिसी जनहित में होगी। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी जिससे जनता का अहित होता है।

दूसरी ओर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढा ने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत के बारे में शर्मनाक और विवादित बात कहते हुए पीडब्लूडी के चीफ इंजीनियर से कह दिया कि मेरे गांव में कटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिएं।

राज्यमंत्री गुढ़ा ने इससे पहले कहा था कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बननी चाहिएं, फिर खुद ही बोले के हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई हैं, वहां मौजूद लोगों से गुढ़ा ने मौजूदा दौर की अभिनेत्री का नाम पूछा और कहा कि मेरे क्षेत्र में कटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिएं।

स्काउट-गाइड गांधी दर्शन से नई पीढ़ी को जोड़ें : राज्यपाल

राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजभवन में स्काउट गाइड संगठन के नए पदाधिकारियों से मुलाकात की।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्काउट गाइड संगठन को राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों का प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी दर्शन के अंतर्गत आचार व्यवहार की शुद्धता, गरीब बस्तियों में कार्य, स्वच्छता आदि में इस संगठन की अग्रणी भूमिका हो।

राज्यपाल एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संस्था के मुख्य संरक्षक मिश्र बुधवार को यहां राजभवन में संस्था के नए पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्था को राज्य के प्रत्येक विद्यालय में स्काउट-गाइड इकाई स्थापित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए ताकि व्यावहारिक रूप में इसका लाभ सभी स्तरों पर मिल सके। साथ ही, जनजातीय क्षेत्र में भी स्काउट-गाइड इकाइयां बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मुलाकात के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र का मुख्य सचिव एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने स्कार्फ पहना कर स्वागत किया। स्काउट-गाइड के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए प्रदेश में स्काउटिंग को नये स्वरूप में स्थापित करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत स्काउट गाइड की संख्या 20 लाख तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

प्रभारी मंत्री अब हर महीने कम से कम दो दिन जिलों में जनसुनवाई करेंगे

- **राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये महत्वपूर्ण निर्णय**
- **सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर आमजन को मिलेगी शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात**
- **एक जनवरी से प्रारंभ होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान**

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में निर्णय किया गया कि मंत्री सप्ताह के प्रथम तीन दिन सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम 2 दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे।

मंत्रिपरिषद ने आगामी 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की। यह निर्णय किया गया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को सम्पादित कराएंगे। इन तीन वर्षों में राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी, एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं। आमजन को इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है।

मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए आगामी वर्ष की पहली तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जमीनी स्तर तक इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए।

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आगामी 24 एवं 25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने जोर दिया कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता तथा कोविड अनुशासन की निरन्तर पालना करना जरूरी है। विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। विद्यालयों में भी कोविड संक्रमण के मामले आए हैं जिस पर राज्य सरकार चिंतित है और प्रदेश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने शिक्षण संस्थानों को लेकर कोविड गाइडलाइन की जानकारी दी।

बामनिया ने किया ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का निरीक्षण

जयपुर, (का.सं.)। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बुधवार को यहां शिक्षा, कौशल, कौशल प्रशिक्षण और ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें सेंटर निर्माण कार्य की विस्तार से जानकारी दी।

बामनिया सुबह सांगानेर तहसील के गांव सवाईगेटोर में निर्माणाधीन ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान बलराम मीणा ने राज्य मंत्री को बताया कि उक्त सेंटर के निर्माण के लिए 1799.60 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया 1606. 97 वर्ग मीटर आवंटित भूमि पर सेंटर का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत बेसमेंट सहित आठ मंजिला भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। भवन के प्रथम तल पर जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय) सहित अन्य कार्यालय बनाए जाएंगे।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बेहतर प्रबन्धन करें : आर्य

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक प्रचार और बेहतर प्रबन्धन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसके अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों को सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने योजना के लिए पंजीकृत अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और उनके द्वारा पेश किए गए बीमा दावों के समयबद्ध निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आर्य बुधवार को यहां शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेन्सी के गवर्निंग बोर्ड की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि चिकित्सा संस्थानों के बीमा दावों को बीमा कम्पनी द्वारा निरस्त किए जाने पर बड़ी संख्या में अपील के आवेदन किए जाते हैं। राज्य एजेन्सी ऐसे आवेदनों की जांच समयबद्ध रूप से पूर्ण करे।

दो आरएएस के तबादले

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के दो अफसरों के तबादले किये हैं। आदेशानुसार जुगल किशोर मीणा को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त और महिपाली कुमार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी बनाया गया है।

रोड की चौड़ाई कितनी भी हो, अदालत ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के आदेश : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच करीब सात किलोमीटर की रोड पर अतिक्रमण के मामले में पूर्व में दिए आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कोर्ट ने रोड की चौड़ाई के मुद्दे पर गए बिना अतिक्रमण चिन्हित कर उसे हटाने के आदेश दिए थे। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल, मानसरोवर की रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए दिए।

रिव्यू याचिका में अदालत के गत जुलाई माह में दिए उस आदेश को संशोधित करने की गुहार की गई थी, जिसमें अदालत ने जेडीए को यहां से एक माह में अतिक्रमण चिन्हित कर तीन माह में अभियान चलाकर उसे हटाने के निर्देश दिए थे। रिव्यू याचिका में कहा गया कि अदालत ने आदेश देने से पहले प्रभावित पक्षों को नहीं सुना। मास्टर प्लान, जोनल प्लान और वास्तविक स्थिति में रोड की चौड़ाई अलग-अलग है। ऐसे में पूर्व में दिए आदेश को संशोधित किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता बाबूलाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जेडीए ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है और रोड से अतिक्रमणों को नहीं हटाया है। जबकि जेडीए को 6 दिसंबर को अदालत में पालना रिपोर्ट पेश करनी है।

करतारपुरा नाले की कार्य योजना पेश करने का आदेश दिया कोर्ट ने

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेडीए से करतारपुरा नाले में अतिक्रमण हटाने और उसे पक्का करने की कार्य योजना पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि नाले के विकास के संबंध में चार सप्ताह में पुख्ता योजना बनाकर अदालत में पेश की जाए।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबे इस नाले में उचित ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। भूमाफियाओं ने नाले में मलबा डालकर उसे कई जगह से पाट दिया है। जेडीए ने 2014 में यह मान लिया था कि उनके पास करतारपुरा नाले का रिकॉर्ड नहीं है। नाले के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2015 को जेडीए व राज्य सरकार को निर्देश दिया था लेकिन उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि जमीन निजी खातेदारी की है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जनहित में राज्य सरकार और जेडीए को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।

अधिकतर मंत्रियों ने आज संभाले पदभार

जयपुर, (का.सं.)। नवनियुक्त मंत्रियों में से अधिकतर ने आज पदभार संभाल लिये हैं।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता : परसादी लाल

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है।

किसानों को मिले निर्बाध बिजली : भाटी

ऊर्जा मंत्री भंवर सिह भाटी ने आज कार्यभार संभाल लिया है। भाटी ने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्तियों को अच्छी गुणवत्ता की पर्याप्त बिजली मिले।

निचले स्तर तक योजनाएं पहुंचें : रमेश मीणा

हमारी प्राथमिकता है कि गांव के अंतिम छोर पर झौंपड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति के घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सभी पात्र परिवार लाभांवित हों। रमेश चंद मीना ने इस संकल्प के साथ पदभार ग्रहण किया।

सड़क कार्यों में पार्दर्शिता पर फोकस : भजन लाल

राज्य मंत्री से पद्दोन्नत होने के बाद भजनलाल जाटव ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूरे किये जाये।

बालिका शिक्षा होगी प्राथमिकता : जाहिदा

जाहिदा खान ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। खान ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे शुरू से ही बालिका शिक्षा के लिए संवेदनशील रहीं है और इस दिशा में कुछ सार्थक करने का हरसंभव प्रयास करेंगी।

सुरक्षित परिवहन के प्रयास करेंगे : ओला

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने कार्यभार ग्रहण किया। ओला ने कहा कि पूरे राज्य में सुरक्षित और सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

पानी के वेस्टेज रोकने के होंगे प्रयास : महेश जोशी

जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश में जनता को निर्बाध, नियमित और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर विभाग का पूरा फोकस रहेगा। साथ ही पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए आमजन के सहयोग से हर स्तर पर सजगता के साथ पुरजोर प्रयास किए जाएंगे।

डॉ. जोशी आज नए जलदाय एवं भूजल मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

स्थानीय रोजगार पर होगा फोकस : रावत

उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर हमारा फोकस रहेगा।

मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं : मुरारी लाल

कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कृषि उपज मंडियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर काश्तकारों को बेहतर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मीणा ने आज पदभार ग्रहण किया।

नए ट्यूरिज्म सर्किट बनाए जाएंगे : विश्वेन्द्र सिंह

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्यूरिज्म सर्किटों को भी विकसित किया जाएगा।

हमने किए हैं बेहतरीन कार्य : भूपेश

राज्यमंत्री से कैबीनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पदभार ग्रहण कर लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में हमने बहुत से बेहतरीन कार्य किए हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

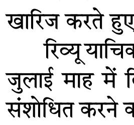

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी

श्रीमती दमयन्ती माथुर

(धर्मपत्नी स्व. श्री वी.डी. माथुर) का स्वर्गवास दिनांक 24.11.2021 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 26.11.2021 को प्रातः 11.00 से 12:00 बजे हमारे निवास स्थान रेजिडेंसी रॉयल, भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में होगी।

शोकाकुलः संदीप-सुजाता दयाल (पुत्र-पुत्रवधू), प्रीति-राजकुमार, सुनीति-अतुल (बेटी-दामाद) अनुराग, अश्विन, इशान (पौत्र), रसिका, सोनाली, उर्वशी, (पौत्री) सरस्वती दयाल, राघवेंद्र दयाल, कमलकांत, विजय, राजेंद्र, जयदीप, जयेश (भतीजे) एवं समस्त भगत निवास परिवार

विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र: जविप्रा/उपा./जोन-14/2021/डी-1558 दि.29.10.21

निजी खातेदारी की योजना खुशी संसार-III के भूखण्ड संख्या 47 क्षेत्रफल 111.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 17.09.2013 को श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामबाबू गुप्ता के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात श्री सुशील कुमार गुप्ता की मृत्यु दिनांक 23.11.2020 को हो चुकी है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत वारिस विवरण अनुसार श्री सुशील कुमार गुप्ता के 2 वारिस श्रीमती शकुन्तला गुप्ता (पत्नी) एवं श्री अंशुल गुप्ता (पुत्र) है। जिसमें से श्रीमती शकुन्तला गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 06.08.2021 से श्री अंशल गुप्ता के पक्ष मे हकत्याग किया गया है। जिसके आधार पर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा नामहस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त आवेदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जविप्रा परिसर पार्किंग वाली बिल्डिंग तृतीय तल कमरा नं. 322 में 3:00 बजे पश्चात अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण कर दिया जावेगा। उपायुक्त जोन-14

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद फिरोजउद्दीन द्वारा सम्पत्ति म्यूनिसिपल नम्बर-808-809, शहर चौकडी घाट, दरवाजा, मौहल्ला बिसातियान, निकट पीपली काटियान दगडे की मस्जिद के पास, वार्ड संख्या 75, जयपुर को क्रय करने सम्बन्ध में एक इकरारनामा बाबत विक्रय दिनांक 07.03.2016 को विक्रेता जफरउद्दीन, खलीलउद्दीन एवं शरीफउद्दीन आदि से किया हुआ है जिसके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद उनवानी मोहम्मद फिरोजउद्दीन बनाम जफरूद्दीन व अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर जिला में विचाराधीन है। उक्त वाद मे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2019 को स्थगन आदेश जारी कर उक्त सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने व अन्तरित करने हेतु पाबंदी लगा रखी है। इस प्रकार सम्पत्ति 808-809 के अन्य हिस्सेदारों, सह-स्वामी, व मृतका श्रीमती बेबी रेहाना एवं स्व. जुलफीकारउद्दीन के अन्य वारिसान आदि से अथवा उपरोक्त विक्रेता से यदि कोई व्यक्ति उक्त सम्पत्ति को क्रय करता है तो सम्पत्ति के समबन्ध में किये गये क्रय-विक्रय, दस्तावेज प्रभावहीन व शून्य समझे जावेंगे एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना हेतु दोषी करार दिया जावेगा। सूचित रहें।

(आलोक जैन) एडवोकेट, मो.-9828115123

विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा.जोन-8/2021/डी-2021 दि:17.11.2021

श्रीमती गुडिया देवी मित्तल पत्नी स्व० श्री सुशील कुमार मित्तल द्वारा निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना वर्धमान सरोवर-ए के भूखण्ड संख्या-88 क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज की लीज डीड मूल आवंटी से क्रय करने के पश्चात क्रेता की मृत्यु होने एवं उनके वारिसान द्वारा आवेदिका के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन संख्या-80641 के द्वारा किया गया है। विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री दिनेश जैन पुत्र श्री लालचन्द जैन को किया गया था। श्री दिनेश जैन द्वारा उक्त भूखण्ड श्री सुशील कुमार मित्तल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2010 को विक्रय कर दिया गया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री सुशील कुमार मित्तल का दिनांक 25.03.2020 को देहान्त होना दर्ज है। श्रीमती गुडिया देवी मित्तल के पक्ष में दिनांक 01.10.21 एक पंजीकृत हकत्याग पत्र निष्पादित किया गया है जिसमे उनकी पुत्रियों प्राची मित्तल व शेफाली मित्तल एवं पुत्र मोहित मित्तल द्वारा अपनी माता के पक्ष में हकत्याग किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण करते हुए पट्टा जारी कर दिया जावेगा। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।

उपायुक्त जोन-08, जविप्रा, जयपुर

पर्यावरण स्वीकृति हेतु आम सूचना

पर्यावरण स्वीकृति हेतु अधिसूचना Ref. No. 20201000028740 ग्राम बजिवाड़ तहसील देवली जिला टोंक Proposal No. 198909, को खनिज ग्रेनाइट क्षेत्रफल 1.0435 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,40,000 TPA (Rom) पट्टाधारी सुमन भोभी पत्नी छगन लाल को पर्यावरण स्वीकृत पत्र क्रमांक F1 (9)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/project/Cat 1(a) B2 (19255)/2019-20 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा जारी किया गया है। अत: सर्वसाधारण को सूचित रहे।

सुमन भोभी पत्नी श्री छगन लाल,
बृजलाल नगर, मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान

NAME CHANGE

My name mention Piyush Raj Mandowara in School and College Records but I popularly known as Piyush Mandowara. In future, I should be known by the name of Piyush Mandowara S/o Shri Shankar Lal Mandowara, B-306, D2, AWHO Vidhyadhar Nagar, Sector-1, Jaipur.

My name mention Rajni Bala Panwar in School and College Records but I popularly known as Rajni Mandowara. In future, I should be known by the name of Rajni Mandowara W/o Shri Piyush Lal Mandowara, B-306, D2, AWHO Vidhyadhar Nagar, Sector-1, Jaipur.

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 1652/21

विषय-उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी-नाम हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण

विवाद स्थान 13, इन्द्रपुरी कॉलोनी, माधव मार्ग, ब्रह्मपुरी खुर्रे के नीचे, जयपुर

मृतक श्रीमती प्रभाती शर्मा की सम्पत्ति के विषय में पेशी दिनांक 01/12/2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती प्रभाती शर्मा W/o स्व. श्री प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी 13, इन्द्रपुरी कॉलोनी, माधव मार्ग, ब्रह्मपुरी खुर्रे के नीचे, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 01 माह 12 सन् 2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 16 माह 11 सन् 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
कार्यालय विश्वविद्यालय अभियन्ता

निविदा सूचना संख्या 20/2021-22

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विभिन्न कार्यों के लिये राजकीय/अर्द्ध-राजकीय विभागों के सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से विभिन्न कार्यों की कुल संख्या **10** हेतु **कुल राशि रूपये 27.27 लाख** की सील बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, निविदा देने एवं प्राप्त करने की दिनांक, समय, एवं शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** एवं **http://sppp.raj.nic.in** पर उपलब्ध है, जिसका यू.बी.एन. नम्बर **URA2122WSOB00101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 & 110** है।

विश्वविद्यालय अभियन्ता

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल
सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004
ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड- 18184
फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जे संबंधी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 (2002 का क. 3) के प्रवर्तन और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) कानून 2002 के अन्तर्गत **दिनांक 23.06.2021** को डिमांड नोटिस जारी किया था जिसमें ऋणी **मैसर्स यश क्रियेशन्स, प्रो. श्री चन्द्र प्रकाश चाण्डक पुत्र श्री खेमराज चाण्डक** को उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर उसमे उल्लिखित **रू. 1,88,93,154.00 (अक्षरे एक करोड़ अठासी लाख तिरानवे हजार एक सौ चौवन रूपये मात्र) (दिनांक 23.06.2021 को बकाया दिनांक 23.06.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए)** की राशि को चुकाने का अनुरोध किया था।

ऋणी द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **18.11.2021** को यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा/स्वामित्व ले लिया है।

ऋणी को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति में कोई लेनदेन न करें और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन **भारतीय स्टेट बैंक** के **रू. 1,88,93,154.00 (अक्षरे एक करोड़ अठासी लाख तिरानवे हजार एक सौ चौवन रूपये मात्र) (दिनांक 23.06.2021 को बकाया व दिनांक 23.06.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए)** की राशि तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के ऋणभार प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुड़ा लेने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री लक्ष्मण दागा पुत्र श्री चम्पा लाल दागा व श्रीमति प्रिति दागा पत्नि श्री लक्ष्मण दागा के नाम प्लॉट नं. 74, खसरा नं. 1877, गली नं. 2, आदर्श नगर, मण्डोर, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) स्थित निर्मित आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 1250 वर्गफिट व जिसकी **सीमाएं** निम्न है- पूर्व: प्लॉट नं. 67, पश्चिम: रोड 20', उत्तर: प्लॉट नं. 73, दक्षिण: प्लॉट नं. 75

श्री चन्द्र प्रकाश चाण्डक पुत्र श्री खेमराज चाण्डक के नाम व्यवसायिक शौरूम नं. 3, प्रथम तल, सिल्वर स्क्वायर, प्लॉट नं. सी-18, भगवान दास रोड़, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) स्थित निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 346.38 वर्गफिट व जिसकी **सीमाएं** निम्न है- पूर्व: सिढ़िया, पश्चिम: दुकान नं. 2, उत्तर: मालिकाना हक विलेखों के अनुसार, दक्षिण: गलियारा

दिनांक: 18.11.2021
स्थान: जयपुर (राज.)

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय नगरपालिका मण्डावरी (दौसा)

क्रमांक-न.पा.म./2021/183

दिनांक-24.11.2021

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में 69-ए पट्टे/ नवीनीकरण/ पट्टा स्थानंतरण/पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिए पत्रावलियां प्राप्त हुई है उक्त पत्रावलियों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में मय लिखित सबूत पालिका में अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई उज्रदारी मान्य नहीं होंगी।

अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक.... को जारी की है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मोहल्ला/वार्ड	क्षेत्रफल वर्गगज में	प्रयोजनार्थ
1.	कजोड़ मल पुत्र नाथू लाल	मूर्ति मोहल्ला, मंडावरी	257.50	69 (क) के अंतर्गत
2.	कैलाश चंद शर्मा पुत्र केसरी लाल शर्मा	मूर्ति मोहल्ला, मंडावरी	150	69 (क) के अंतर्गत
3.	शम्भू दयाल पुत्र रामप्रसाद	मूर्ति मोहल्ला, मंडावरी	75	69 (क) के अंतर्गत
4.	फोरंती देवी पत्नी रामजी लाल कुम्हार	कुम्हार, मोहल्ला, मंडावरी	306.22	69 (क) के अंतर्गत
5.	विमला देवी पत्नी रमेश चंद	गढ़ मोहल्ला, मंडावरी	106.94	69 (क) के अंतर्गत
6.	गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा	बस स्टैंड, मंडावरी	287.11	69 (क) के अंतर्गत
7.	रामकेश माली पुत्र छीतर माली	पीर पाछला माली की ढाणी, मंडावरी	162.44	69 (क) के अंतर्गत
8.	मदन मोहन गुप्ता पुत्र रामजी लाल गुप्ता	दुब्बे पाडा, मंडावरी	179.70	69 (क) के अंतर्गत
9.	श्रीमती कमला देवी पत्नी रमेश चन्द बैरवा	बैरवा मोहल्ला, मंडावरी	63.88	69 (क) के अंतर्गत
10	जगमोहन बैरवा पुत्र रामजी लाल बैरवा	गढ मोहल्ला, मंडावरी	83.33	69 (क) के अंतर्गत
11	श्रीमती मीरा देवी पत्नी कालू बैरवा	गढ मोहल्ला, मंडावरी	75	69 (क) के अंतर्गत
12	कमला देवी पत्नी जगन लाल शर्मा	मूर्ति मोहल्ला, मंडावरी	150	69 (क) के अंतर्गत
13	नानगराम गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर गुप्ता	मूर्ति मोहल्ला, मंडावरी	200	69 (क) के अंतर्गत
14	घनश्याम बजाज पुत्र गोविन्द राम बजाज	सोनी मोहल्ला, मंडावरी	57	69 (क) के अंतर्गत
15	ठंडी लाल मीना पुत्र कजोड मल मीना	तुमडा वाली ढाणी, मंडावरी	200	69 (क) के अंतर्गत

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डावरी